

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 156/2021

1. नथमल पुत्र लीलाराम
2. रामदयाल पुत्र लीलाराम
3. बनारसी देवी पत्नी लीलाराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम जुझारपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
..... वादीगण

ब-ना-म

1. मनोहर दत्तक पुत्र रामनाथ
2. पतासी पत्नी जगदीश
3. सुरजी देवी पत्नी खेता
4. भागीरथ पुत्र खेता
5. रोहिताश पुत्र खेता
6. धर्मपाल पुत्र खेता
7. रामनिवास पुत्र खेता
8. प्रकाश पुत्र सनेही
9. रामेश्वर पुत्र सनेही
10. रामसिंह पुत्र सनेही
11. मन्जू पत्नी कैलाश
12. साहिल पुत्र कैलाश
13. रेखा पुत्री कैलाश
14. फुला पुत्र रिछपाल
15. रामरती पत्नी छोटूराम
16. हजारी पुत्र सरदारा
17. शीशराम पुत्र सरदारा
18. गुरुदयाल पुत्र सरदारा
19. बलवीर पुत्र जुवारा
20. मनीराम पुत्र जुवारा
21. मातादीन पुत्र जुवारा
22. होशियार सिंह पुत्र जुवारा
23. अमीलाल पुत्र पालाराम
24. गोपीराम पुत्र पालाराम
25. दीपचन्द पुत्र पालाराम
26. मनोहर पुत्र पालाराम
27. मेहरचन्द पुत्र पालाराम



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

28. भगोती पत्नी पालाराम
29. जडावली पत्नी जीवण
30. जगमाल पुत्र जीवण
31. किशनलाल पुत्र जीवण
32. सांवत पुत्र जीवण
33. हरबाई पुत्री जीवण
34. बसन्ती पुत्री जीवण
35. सन्तरा पुत्री जीवण
36. लीला पुत्री जीवण
37. झाबर पुत्र सरदारा
38. पतासी पत्नी बीरबल
39. रामजीलाल पुत्र बीरबल
40. सांवतराम पुत्र बीरबल
41. नुसाराम पुत्र श्योदान
42. रामचन्द्र पुत्र सरदारा

- समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम जुझारपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
43. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा गोठडा जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
 44. बैंक ऑफ बडौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
 45. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0


.....प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन

:- निर्णय :-

दिनांक 02-09-2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26-05-2022 को प्राथमिक डेक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम जुझारपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 153 खसरा नंबर 83, 85 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 है. में दर्ज वादी सं. 1 का 03/5550 हिस्से का, वादी सं. 2 का 803/5550 हिस्से का, वादिया सं. 3 का 23/1850 हिस्से का तथा खाता संख्या 182 खसरा नंबर क्रमशः 1183/770, 184/768, 1185/776, 178, 180, 667, 77, 78, 79, 81 कुल किता 10 कुल रकबा 2.34 में दर्ज वादीगण प्रत्येक का 1/15-1/15 हिस्से का एवं खाता संख्या 184 खसरा नंबर 76, 80 कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है. में दर्ज वादीगण प्रत्येक का 1/15-1/15 हिस्से का संयुक्त रखते हुये अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/2853 दिनांक 21.07.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21-07-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21-07-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-12” व “ब”) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21-07-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-12” व “ब”) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21-07-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-12” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21-07-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-12” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-“ब” के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-09-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी